प्रो० (डॉ०) राजवर्धन आजाद, माननीय स०वि०प० से प्राप्त निवेदन सं०-223/26 का उत्तर प्रतिवेदन

निवेदन	उत्तर प्रतिवेदन
माननीय सभापति महोदय, मुंगेर जिला के संग्रामपुर से गंगटा पथ में किसानों के लिए सिंचाई पानी की व्यवस्था "मुहानय वियर से ग्राम-लसकरा एवं अन्य गाँव तक किया जा रहा है सरकार वर्ष 2024-25 में मुहानय वियर एवं नहर की मरम्मति कराने के लिए सिंचाई विभाग धन्यवाद के पात्र हैं। मुहानय वियर में पानी बारीश के समय ही रहता है परन्तु पहले से मुंगेर बांका जिला के सिमावर्ति क्षेत्र में "हनुमना डैम" है जहाँ से मुहानय वियर तक केनाल / नहर बना हुआ है लेकिन मुहानय बियर में जोड़ा नहीं जा सका है, जिसे जोड़ने की आवश्यकता है। हनुमना डैम का पानी का मुहानय वियर से जुड़ जाने से किसानों का सलाना पैदावार काफी बढ़ जाएगा, साथ ही मुहानय वियर से जो नहर बनाई गई है उसे पक्की नहर बनाते हुए नहर के उपरी भाग में पथ का निर्माण भी कराया जाना उचित है। अतः मैं निवेदन के माध्यम से उपरोक्त कार्य को कराने की मांग करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि - मुंगेर जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड में मुहाने नदी पर निर्मित मुहाने वियर सिंचाई योजना से ग्राम-लसकरा एवं अन्य गाँव में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। बदुआ (हनुमना) डैम का पानी बदुआ-बेलहरना लिंक कैनाल के माध्यम से बेलहरना नदी में मिलता है। बेलहरना नदी का पानी मुहाने लिंक कैनाल होते हुए मुहाने नदी पर निर्मित वियर के समीप मिलता है। वर्तमान में बेलहरना मुहाने लिंक कैनाल के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण सिंचाई सुविधा बाधित हो रही है। बेलहरना मुहाने लिंक कैनाल के पुनर्स्थापन एवं पक्कीकरण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने की कारवाई की जा रही है। इस कार्य के होने के उपरान्त बदुआ (हनुमना) डैम का पानी बेलहरना मुहाने लिंक कैनाल होते हुए मुहाने नदी पर निर्मित वियर के समीप सुगमतापूर्वक पहुँच जायेगा। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2025-26 में मुहाने वियर सिंचाई योजना से निर्धारित लक्ष्य 558 हे० के विरुद्ध 555 हे० में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में मुहाने वियर कैनाल के पक्कीकरण की योजना विचाराधीन नहीं है। मुहाने वियर कैनाल (कुल लम्बाई-8.229 कि०मी०) पर 1.4 कि०मी० में सड़क निर्मित है, जिसका निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा कराया गया है। इस प्रकार शेष भाग में भी ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क निर्माण कराया जाना श्रेयस्कर होगा। यदि ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये प्रस्ताव प्राप्त होता हैं तो जल संसाधन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–04–05 / 2026................. पटना / दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना के पत्रांक–617(1) दिनांक–27.02.2026 के आलोक में निवेदन सं0–223 / 26 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–04–05 / 2026................. पटना / दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–04–05 / 2026................. पटना / दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–04–05 / 2026...3610... पटना / दिनांक :02/07/2026

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव